रजि. सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 345] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 1985/श्रावण 14, 1907
No. 345] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 1985/SRAVANA 14, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1985

अधिसूचना

सा. का. नि. 635(अ) :—धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप, धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 (1958 का 21) की धारा 22 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का नि. 100(अ) तारीख 22 फरवरी, 1985 के अधीन, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 22 फरवरी, 1985 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित हुई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे।

और उक्त राजपत्र 4 मार्च, 1985 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रभावी होंगे।

2. धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 की अनुसूची में, शर्त (3अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3अ) धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1976 के प्रवृत्त होने से पूर्व विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारण करने वाला अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट शर्तें अधिरोपित करने वाले आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के अन्दर या आपवादिक मामलों में ऐसी और कालावधि या कालावधियों के अन्दर जो कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक नहीं होगी जो अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा इस निमित्त समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए,—

(क) जहां चावल मिल में एक से अधिक धान से भूसी उतारने वाला है, वहां

(1) वह धान से भूसी उतारने वाले का उपयोग धान से भूसी अलग करने के लिए नहीं करेगा, अपितु उसका उपयोग केवल चावल चमकाने के लिए ही करेगा, और

(2) वह या तो धान से छिलके निकालने वाला रबड़ रोल या अपकेंद्री भूसी निकालने वाले यंत्र संस्थापित करेगा, जिसमें धान क्लीनर और धान पृथक्कारित्र लगे हों,

(ख) जहां चावल मिल धान से छिलके निकालने वाली सह-धान से भूसी उतारने वाली प्रकार की, दोनों हैं, वहां,—

(1) वह धान से भूसी उतारने वाले का उपयोग धान से भूसी अलग करने के लिए नहीं करेगा, अपितु उसका उपयोग केवल चावल चमकाने के लिए ही करेगा, और

(2) वह धान से छिलके निकालने वाला रबड़ रोल संस्थापित करेगा, जिसमें धान क्लीनर और धान पृथक्कारित्र लगे हों, और

(ग) जहां चावल मिल धान से छिलके निकालने वाली प्रकार की है, वहां वह सांचे संचालित धान से छिलके निकालने वाले के स्थान पर ऐसी मशीन लगायेगा जिसमें धान क्लीनर और धान पृथक्कारित्र के साथ रबड़ रोलर लगा हुआ हो :—

परन्तु 1 मई, 1970 के पूर्व अनुज्ञप्त किसी एकल धान से भूसी उतारने वाले प्रकार से भिन्न चावल मिल की दशा में अनुज्ञापन अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से उक्त कालावधि को अगले दस वर्ष और तीन मास तक और बढ़ा सकेगा :

परन्तु यह और कि 1 मई, 1970 और 30 अप्रैल, 1975 के बीच अनुज्ञप्त किसी एकल धान से भूसी उतारने वाले से भिन्न किसी चावल मिल की दशा में अनुज्ञापन अधिकारी, लेखबद्ध किए जाने वाले पर्याप्त कारणों से उक्त कालावधि को पांच वर्ष की कालावधि की समाप्ति की तारीख से परे उतनी कालावधि तक जितनी वह न्यायोचित समझे, और बढ़ा सकेगा, किन्तु ऐसी और अवधि 31 जुलाई, 1985 से और अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

[फा. सं. 15 (6)/85-डी. एण्ड आर-I]
ओ. वी. विश्वनाथ, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 510 तारीख 22 अप्रैल, 1959 के अधीन धान कुटाई उद्योग (विनियमन और अनुज्ञापन) नियम, 1959 प्रकाशित किया गया था। इन नियमों में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा समय-समय पर संशोधन किया गया था :—

(1) सा. का. नि. 1129 तारीख 12-10-1959
(2) सा. का. नि. 694 तारीख 16-6-1960
(3) सा. का. नि. 1028 तारीख 29-8-1960
(4) सा. का. नि. 93 तारीख 15-1-1962
(5) सा. का. नि. 1369 तारीख 6-8-1963
(6) सा. का. नि. 133 तारीख 18-1-1965
(7) सा. का. नि. 1143 तारीख 2-8-1965
(8) सा. का. नि. 85 तारीख 7-1-1966
(9) सा. का. नि. 259 तारीख 11-2-1966
(10) सा. का. नि. 553 तारीख 24-3-1970
(11) सा. का. नि. 105 तारीख 18-1-1971
(12) सा. का. नि. 490(अ.) तारीख 29-7-1976
(13) सा. का. नि. 284 तारीख 18-2-1977
(14) सा. का. नि. 408 तारीख 16-3-1978
(15) सा. का. नि. 80(अ.) तारीख 23-2-1979
(16) सा. का. नि. 752(अ.) तारीख 31-12-1980
(17) सा. का. नि. 180(अ.) तारीख 16-3-1981
(18) सा. का. नि. 490(अ) तारीख 8-7-1982

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1985

G.S.R. 635 (E):—Whereas certain draft rules further to amend the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published as required by sub-section (1) of section 22 of the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958 (21 of 1958) in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated 22nd February, 1985, under the notification of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food), No. G.S.R. 100 (E), dated the 22nd February, 1985, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 4th March, 1985 ;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 22 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rice Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, namely :—

1. (1) These rules may be called the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1985.

(2) These shall come into force at once.

2. In the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules 1959, in the Schedule, for condition (3D), the following shall be substituted, namely :—

"(3D) The licensee holding a valid licence prior to the coming into force of the Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Amendment Rules, 1976, shall ensure that within a period of three years from the date of Order imposing the conditions hereinafter specified or in exceptional cases within such further period or periods the total of which shall not exceed two years as may be specified from time to time in this behalf by the Licensing Officer-

(a) where the rice mill consists of more than one huller,—

(i) he shall not utilise the huller for dehusking paddy, but utilise it only for poloshing rice, and

(ii) he shall instal either a rubber roll sheller or a centrifugal dehusker with paddy cleaner and paddy separator;

(b) where the rice mill is a combined sheller cum-huller type,—

(i) he shall not utilise the huller for dehusking paddy but utilise it only for polishing of rice, and

(ii) he shall instal a rubber roll sheller with paddy cleaner and paddy separator; and

(c) where the rice mill is a sheller type, he shall replace the under-runner sheller by machinery consisting of a rubber roller with paddy cleaner and paddy separator :

Provided further that in the case of a rice mill other than single huller licensed prior to the 1st May, 1970, the Licensing Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, further extend the said period by another ten years and three months;

Provided further that in the case of a rice mill other than single huller licensed between the 1st May, 1970 and the 30th April, 1975, the Licensing Officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing, further a extend the said period by such period as he may consider justified, beyond the date of expiry of the period of five years but such further extension shall not go beyond 31st July, 1985.

[F. No. 15(6)|85-D&R-I]

G. V. VISWANATH, Jt. Secy.

FOOT NOTE :

The Rice-Milling Industry (Regulation and Licensing) Rules, 1959, were published under the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Food and Agriculture (Department of Food), No. G.S.R. 510, dated the 22nd April, 1959 These rules have been amended from time to time by notifications No.,

(1) G.S.R. 1129 dated 12-10-1959.
(2) G.S.R. 694 dated 16-6-1960.
(3) G.S.R. 1028 dated 29-8-1960.
(4) G.S.R. 93 dated 15-1-1962.
(5) G.S.R. 1369 dated 6-8-1963.
(6) G.S.R. 133 dated 18-1-1965.
(7) G.S.R. 1143 dated 3-8-1965.
(8) G.S.R. 85 dated 7-1-1966.
(9) G.S.R. 250 dated 11-2-1966.
(10) G.S.R. 553 dated 24-3-1970.
(11) G.S.R. 105 dated 18-1-1971.
(12) G.S.R. 490(E) dated 29-7-1976.
(13) G.S.R. 248 dated 18-2-1977.
(14) G.S.R. 408 dated 16-3-1978.
(15) G.S.R. 80(E) dated 23-2-1979.
(16) G.S.R. 752(E) dated 31-12-1980.
(17) G.S.R. 180(E) dated 16-3-1981.
(18) G.S.R. 490(E) dated 8-7-1982.